बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, Email- bseapatna@gmail.com, वेबसाईट : https://bsea.bihar.gov.in

पत्रांक : नि० प्रा०/ नि०प० 1-14/2024 2232 /पटना, दिनांक 12/12/2024

प्रेषक,

पुरूषोत्तम पासवान, भा०प्र०से०,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०),
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)।

विषय : **पैक्स निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्र पैक्स गोदाम/ भवन से अन्यत्र सरकारी भवन में रखे जाने के संबंध में।**

प्रसंग : प्राधिकार का पत्रांक 1486 दिनांक 04.09.2024.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राधिकार के पत्रांक 1486 दिनांक 04.09.2024 से पैक्स निर्वाचन में मतदान केन्द्र निर्धारण हेतु कतिपय निदेश निर्गत है। पत्र की कंडिका 4 (i) से (v) में पैक्स गोदाम/ कार्यालय की उपलब्धता की स्थिति में उसे मतदान केन्द्र बनाने को प्राथमिकता देने के निदेश निर्गत है।

2. नवम्बर-दिसम्बर, 2024 में संपन्न पैक्स निर्वाचन के दौरान पैक्स गोदाम में मतदान केन्द्र स्थापित होने के कारण कई शिकायतें प्राधिकार को प्राप्त हुई। पाया गया कि सामान्यत: पैक्स गोदाम क्षेत्र के किसी व्यक्ति द्वारा दान या लीज पर दी गई भूमि पर निर्मित है, जिस कारण उस क्षेत्र में उनका प्रभुत्व कायम है। इससे निर्विवाद, निर्भीक और सुरक्षित मतदान कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर मतदान केन्द्र बदलने का निर्णय भी लेना पड़ा। अत: उपर्युक्त पत्र की कंडिका 4 (i) से (v) में संशोधन की आवश्यकता है।

3. **उपरोक्त वर्णित अनुभव और स्थिति को देखते हुए प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि "पैक्स निर्वाचन में मतदान केन्द्र पंचायत अंतर्गत किसी ऐसे सरकारी भवन में स्थापित किया जाएगा, जहाँ अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग एवं आम मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सकें। पंचायत क्षेत्र में यदि अन्य कोई सरकारी भवन उपलब्ध नहीं हो, तो पैक्स गोदाम/ भवन का चयन अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाएगा।"**

4. प्राधिकार का पत्रांक 1486 दिनांक 04.09.2024 इस हद तक संशोधित समझा जाए। उक्त पत्र में वर्णित कंडिका 4 (vi) से (xi) एवं अन्य शेष सभी बिंदु यथावत् रहेंगे। तदनुसार मतदान केन्द्र का निर्धारण किया जाएगा।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

(पुरूषोत्तम पासवान)
सचिव।

P.T.O

BSEA.dt 10.12.2024 Rajesh

ज्ञापांक: 2232 /पटना, दिनांक 12/12/2024

प्रतिलिपि: सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक: 2232 /पटना, दिनांक 12/12/2024

प्रतिलिपि: श्री मुकेश कुमार ठाकुर, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

BSEA.dt. 10.12.2024 Rajesh